

आयुक्त के सचिव, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-82/गो0, दिनांक-07.06.2021 एवं उपायुक्त, गोड्डा के पंजी क्रमांक 4271 द्वारा वादों में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु दिये गये निदेश के आलोक में अभिलेख उपस्थापित। प्रासंगिक पत्र एवं अभिलेख के साथ संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय बंदोबस्ती वाद सं0-96/1989-90, रा0वि0 वाद सं0-86/2003-04, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के C.W.J.C. नं0-2671/2000, उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय का आर0एम0ए0 वाद सं0-38/2004 एवं प्रमंडलीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय का आर0एम0ए0 वाद सं0-39/2010-11 में पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत प्रश्नगत मौजा-गोविंदपुर नं0-31 गैर मजरूआ खाता सं0-41 के खेसरा नं0-23 भूमि का कुल रकवा-00-04-06 धूर भूमि में उत्तरवादी के साथ मात्र 03 कट्ठा भूमि की बंदोबस्ती संबंधी अंचल अधिकारी, मेहरमा से बंदोबस्ती वाद सं0-01/15-16 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर संशोधित आदेश पारित की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार लगान धार्य तालिका की स्वीकृत्यादेश के अनुसार पंजी-2 सुधार कर प्रश्नगत रकवा- 00-01-06 धूर भूमि पर किसी प्रकार की संरचना हो, तो उसे तुरंत हटाकर आम रास्ते के रूप में व्यवहार आने पर किसी प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं करने का निदेश अंचल अधिकारी, मेहरमा को दिया जाता है।

17/06/21

AN 106/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा ।

[illegible]